इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 82] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 मार्च 2026—चैत्र 5, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2026

क्र. 3181- 44- इक्कीस—अ (प्रा.).— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25 मार्च 2026 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३ सन् २०२६

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, २०२६

विषय - सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा ४ का संशोधन.

४. धारा ९-क, ९-ख, ९-ग और ९-घ का अन्त:स्थापन.

५. धारा ११-क का अन्त:स्थापन.

६. धारा १६ का संशोधन.

७. धारा ३०-क का अन्त:स्थापन.

८. धारा ३४ का संशोधन,

९. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३ सन् २०२६

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, २०२६

[दिनांक २५ मार्च, २०२६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २६ मार्च, २०२६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, २०२६ है.

(२) यह "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ३६ सन् १९८३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,-

(एक) खण्ड (४) में, पैरा के प्रारंभ में, शब्द "नियोजक" के पश्चात्, शब्द "या अधिष्ठाता" अन्त:स्थापित किया जाए;

(दो) खण्ड (१०) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(१०-क) "स्लेट पेन्सिल अभिदाय" से अभिप्रेत है, धारा ९-क के उपबंधों के अनुसार मण्डल को देय धनराशि;

(१०-ख) "स्लेट पेन्सिल कारखाना" से अभिप्रेत है, शैल पत्थर से स्लेट पेन्सिलों का विनिर्माण करने वाला कारखाना;

(१०-ग) "स्लेट पेन्सिल निधि" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ की धारा ३ के अधीन गठित और इस अधिनियम की धारा ३०-क के अधीन इस मण्डल को हस्तांतरित मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि;

(१०-घ) "स्लेट पेन्सिल कर्मकार" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी स्लेट पेन्सिल कारखाने में कोई कुशल, अर्द्धकुशल, शारीरिक, लिपिकीय, परिवेक्षिक या तकनीकी कार्य करने के लिए भाड़े या पारिश्रामिक पर नियोजित किया जाता है, किन्तु उसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है;-

(क) जो किसी प्रबंधकीय या प्रशासनिक हैसियत में है, या

(ख) पर्यवेक्षिक हैसियत में नियोजित होते हुए, प्रतिमास ऐसी राशि, जैसी कि सरकार द्वारा अवधारित एवं अधिसूचित की जाए, से अधिक मजदूरी लेता है या जो उसके पद से संलग्न कर्तव्यों की प्रकृति के कारण या अपने में निहित शक्तियों के कारण ऐसे कृत्यों का पालन करता है, जो मुख्यत: प्रबंधकीय प्रकृति के हैं;".

धारा ४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में,-

(एक) उपधारा (१) में, शब्द "निधि", जहां कहीं वह आया हो, के स्थान पर, शब्द "निधि एवं स्लेट पेन्सिल निधि" स्थापित्त किए जाएं;

(दो) उपधारा (३) के खण्ड (ख) के प्रारंभिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"इतनी संख्या में, जो कि विहित की जाए, नियोजकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा, जिसमें से एक-एक स्लेट पेन्सिल कारखाने से अधिष्ठाता और स्लेट पेन्सिल कर्मकार हो सकेगा.".

धारा ९-क, ९-ख, ९-ग और ९-घ का अन्त:स्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा ९ के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:-

स्लेट पेन्सिल अभिदाय.

"९-क. (१) ऐसी तारीख से, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, प्रत्येक अधिष्ठाता, मण्डल को ऐसी दर पर अभिदाय करेगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा समय-समय पर नियत करे.

(२) उपधारा (१) के अधीन देय अभिदाय की राशि मण्डल को प्रत्येक कैलेण्डर मास के अंतिम दिवस से पूर्व संदत्त की जाएगी.

(३) प्रत्येक अधिष्ठाता, स्लेट पेन्सिल कारखाने से उसके द्वारा विनिर्मित की गई स्लेट पेन्सिल का परिवहन, इस आशय का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् करेगा, कि उपधारा (१) के अधीन देय अभिदाय मण्डल को संदत्त कर दिया गया है.

(४) उपधारा (२) के अधीन मण्डल को संदत्त अभिदाय की राशि स्लेट पेन्सिल निधि का भाग रूप होगी और इसमें इसके पश्चात् उपबंधित किए गए अनुसार उपयोजित की जाएगी.

असंदत्त अभिदाय या प्रीमियम पर ब्याज.

९-ख. (१) यदि अधिष्ठाता, किसी अभिदाय या प्रीमियम की शोध्य होने पर मण्डल को उसका संदाय नहीं करता है, तो मण्डल का कल्याण आयुक्त अधिष्ठाता पर एक सूचना की तमीली करवाएगा, जिसमें उस रकम को उस सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर, जो सूचना की तमीली की तारीख से पंद्रह दिन से कम नहीं होगी, संदाय करने के लिए कहा जाएगा.

(२) यदि कोई अधिष्ठाता पर्याप्त कारण के बिना सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसे अभिदाय या प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, तो वह रकम बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूलनीय होगी.

अभिदाय या प्रीमियम के संदाय न किए जाने का परिणाम.

९-ग. धारा ९-ख के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि स्लेट पेन्सिलों के परेषण (कंसाइनमेंट) का स्लेट पेन्सिल कारखाना या उसकी किसी स्थापना से अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना परिवहन किया जाता है तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे,-

(क) अभिदाय का संग्रहण करने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति या निरीक्षक ऐसे परेषण को निरुद्ध कर सकेगा;

(ख) यथास्थिति, ऐसा व्यक्ति या निरीक्षक परेषण को निरूद्ध किए जाने पर परेषण के मदों की एक सूची तैयार करेगा जो उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित की जाएगी और उसकी एक प्रति उस व्यक्ति को देगा जो ऐसे मार्ग के निरूद्ध किए जाने के समय उसका भारसाधक हो और उसके साथ उसे विहित प्ररूप में इस आशय की एक सूचना देगा कि इस प्रकार निरूद्ध किया गया माल सूचना में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख तथा समय पर नीलाम द्वारा विक्रय किया जाएगा;

(ग) ऐसा व्यक्ति या निरीक्षक पूर्वोक्त सूची तथा सूचना की एक प्रति मण्डल के कल्याण आयुक्त को भी तत्काल भिजवाएगा;

(घ) यदि शोध्य रकम नीलामी के लिए नियत की गई तारीख के पूर्व संदत्त नहीं की जाती है तो कल्याण आयुक्त लोक नीलाम द्वारा परेषण का विक्रय करवाएगा और उसके विक्रय आगम शोध्य रकम तथा अन्य व्ययों का जो ऐसे निरुद्ध किए जाने तथा विक्रय के संबंध में उपगत हुए हों, संदाय करने के लिए उपयोजित किए जाएंगे;

(ङ) विक्रय आगमों के अधिशेष यदि कोई हों विनिर्दिष्ट रीति में, संबंधित अधिष्ठाता को संदत्त किए जाएंगे जिसकी अभिरक्षा से माल अभिग्रहण किया गया है.

बजट.

९-घ. (१) मण्डल प्रत्येक वर्ष, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जैसा कि विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुमानित प्राप्तियां तथा व्यय दर्शाते हुए एक बजट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएगी.

(२) स्लेट पेन्सिल निधि तथा श्रम कल्याण निधि के लिए बजट बोर्ड द्वारा पृथकत: तैयार तथा अनुमोदित किया जाएगा.''.

५. मूल अधिनियम की धारा ११ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:- धारा ११क का अन्त:स्थापन.

"११-क. (१) स्लेट पेन्सिल निधि इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, मण्डल में न्यासी के रूप में निहित होगी और मण्डल द्वारा न्यासी के रूप में धारित और उपयोजित की जाएगी। उसमें के धनों का उपयोग मण्डल द्वारा ऐसे क्रियाकलापों को, जो स्लेट पेन्सिल कर्मकारों और उसके आश्रितों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, कार्यान्वित करने के खर्च को चुकाने के लिए किया जाएगा. स्लेट पेन्सिल निधि का निहित होना और उसका उपयोजन.

(२) उपधारा (१) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मण्डल द्वारा निधि में के धनों का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों पर किए जाने वाले व्ययों को चुकाने में किया जा सकेगा-

(क) किसी ऐसे कर्मकार के, जिसकी मृत्यु सिलिकोसिस के कारण हो गई है या हो सकती है, कुटुम्ब के सदस्यों को सहायता अनुदान;

(ख) सिलिकोसिस ग्रस्त कर्मकार का चिकित्सीय उपचार;

(ग) कर्मकार तथा उसके आश्रितों की समुदायिक आवश्यकताएं;

(घ) कर्मकार के कुटुम्ब के सदस्यों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं;

(ङ) स्लेट पेन्सिल कारखाने के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा औषधालयों की स्थापना;

(च) स्लेट पेन्सिल कर्मकारों पर आश्रित स्त्रियों और बेरोजगार व्यक्तियों के लिए गृह उद्योग तथा सहायक उपजीविकाएं;

(छ) कर्मकारों के लिए खेल, खेलकूद, मनोरंजन तथा अन्य प्रकार के आमोद-प्रमोद;

(ज) कर्मकारों के लिए वाचनालय और पुस्तकालय;

(झ) कर्मकारों के संबंध में जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान;

(ञ) अधिनियम के प्रशासन का खर्च, जिसके अंतर्गत मण्डल के सदस्यों के भत्ते तथा मण्डल द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारिवृंद के वेतन तथा भत्ते आते हैं;

(ट) ऐसे अन्य उद्देश्य, जो मण्डल की राय में कर्मकार के जीवन स्तर में सुधार ला सकते हों.

परन्तु निधि का उपयोग ऐसे क्रियाकलाप के लिए वित्त व्यवस्था करने में नहीं किया जाएगा जिसे क्रियान्वित करने के लिए अधिष्ठाता तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन अपेक्षित है.

स्पष्टीकरण.- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए किसी स्लेट पेन्सिल कर्मकार की दशा में "परिवार के सदस्यों" से अभिप्रेत है, पति/पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पिता, माता, दादी, भाई, अविवाहित बहन, विधवा पुत्री, विधवा बहन, ताऊ/चाचा, चाचा की पत्नी, विधवा या भाई का पुत्र या अविवाहित पुत्री, जो उसके साथ संयुक्त रूप से रहते हैं या कोई अन्य रिश्तेदार जो उस पर आश्रित हैं.

(३) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार मण्डल को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह निधि का उपयोग किसी अधिष्ठाता को उस मद में उधार व अग्रिम देने के लिए करें, जहां ऐसा उधार या अग्रिम अधिष्ठाता को उस बाध्यता का निर्वहन करने हेतु हो, जो कि स्लेट पेन्सिल कर्मकारों तथा उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा तथा उसके स्वास्थ्य के लिए अधिष्ठाता पर, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या उसके द्वारा अधिरोपित की गई हो.

(४) यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि कोई विशिष्ट व्यय निधि में से विकलित किए जाने योग्य है या नहीं तो वह मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम तथा आबद्धकर होगा.

स्पष्टीकरण.- स्लेट पेन्सिल कर्मकार श्रम कल्याण निधि के अंतर्गत भी लाभ पाने के पात्र होंगे. श्रम कल्याण मण्डल विशिष्ट रूप से स्लेट पेन्सिल कर्मकारों के लिए लाभ, योजनाएं, उपबंध उपलब्ध करा सकेगा.".

धारा १६ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"(१-क) मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ के अधीन नियुक्त निरीक्षक का अर्थ, उक्त अधिनियम के निरसन पर इस अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षक से लगाया जाएगा:

परन्तु मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मण्डल से अंतरित पद मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल के अधीन पदों से पृथक माने जाएंगे और मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मण्डल से मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल को अंतरित समस्त पद अधिसंख्य माने जाएंगे.".

धारा ३०-क का अंत:स्थापन.

७. मूल अधिनियम की धारा ३० के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:-

निधियों का निहित होना या दायित्वों का निर्वहन.

"३०-क मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मण्डल का विधिक उत्तराधिकारी होगा. मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ के अधीन समस्त निधियां, योजनाएं, अभिदाय, पद, शक्तियां, आस्तियां (जिसमें सम्मिलित है भूमि, भवन, यान, फर्नीचर और अन्य चल और अचल आस्तियां), दायित्व, स्वीकृत पद, विद्यमान कर्मचारिवृंद, आय के स्रोत, व्यय प्रतिबद्धताएं और मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ के अधीन बोर्ड के अधिसूचित विनियम, इस अधिनियम के अधीन गठित मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल को अंतरित हो जाएंगे.".

८. मूल अधिनियम की धारा ३४ में, उपधारा (१) में, कोलन के स्थान पर,पूर्ण विराम स्थापित किया जाए और उसके विद्यमान परन्तुक का लोप किया जाए.

धारा ३४ का संशोधन.

९. (१) मध्यप्रदेश स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक १३ सन् १९८३) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

(२) इस अधिनियम का निरसन, इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन, उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या भुगती गई कोई बात पर प्रभाव नहीं डालेगा या इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन प्रोद्भूत या उपगत किसी बाध्यता तथा दायित्व के संबंध में की गई विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा और ऐसी कोई विधिक कार्यवाही या उपचार जारी या प्रवृत्त रखे जा सकेंगे. तथापि, किसी न्यायालय में लंबित समस्त कार्यवाहियां ऐसे जारी रहेंगी, मानों यह अधिनियम पारित ही नहीं किया गया हो.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2026

क्र. 3181–44–इक्कीस–अ (प्रा.).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2026 (क्रमांक 3 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 3 OF 2026

THE MADHYA PRADESH SHRAM KALYAN NIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2026

TABLE OF CENTENTS

Sections:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 2.
3. Amendment of Section 4.
4. Insertion of Section 9-A, 9-B, 9-C and 9-D.
5. Insertion of Section 11-A.
6. Amendment of Section 16.
7. Insertion of Section 30-A.
8. Amendment of Section 34.
9. Repeal and savings.

MADHYA PRADESH ACT

No. 3 OF 2026

THE MADHYA PRADESH SHRAM KALYAN NIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2026

[Received the assent of the Governor on the 25th March, 2026; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 26th March, 2026.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-seventh year of the Republic of India, as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2026.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983) (hereinafter referred to as the principal Act),-

(i) in clause (4), in the opening of the paragraph, after the word "Employer", the words "or occupier" shall be inserted;

(ii) after clause (10), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(10-a) "Slate pencil contribution" means the sum of money payable to the board in accordance with the provisions of Section 9-A;

(10-b) "Slate pencil factory" means a factory manufacturing slate pericil from shale stone;

(10-c) "Slate pencil fund" means the Madhya Pradesh Slate Pencil Workers Welfare Fund constituted under Section 3 of the Madhya Pradesh Slate Pencil Karmakar Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 and transferred to this board under section 30-A of this Act;".

"(10-d) 'Slate pencil worker' means any person, who is employed for hire or reward to do any skilled, semi-skilled or unskilled, manual, clerical, supervisory or technical work in a Slate Pencil Factory, but does not include a person,-

(a) who is employed in a managerial or administrative capacity, or

(b) Who, being employed in a supervisory capacity, draws wages exceeding such amount per month, as may be determined and notified by the State Government or who, by the nature of the duties attached to his office or by reason of the powers vested in him, performs functions mainly of a managerial nature;".

Amendment of Section 4.

3. In Section 4 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), for the words "the Fund", wherever it occurs, the words "the Fund and Slate Pencil Fund" shall substituted;

(ii) for opening paragraph of clause (b) of sub-section (3), the following paragraph shall be substituted, namely:-

"Such number, as may be prescribed, of representatives of employers and employees, to be nominated by the State Government, of whom one each may be an occupier and slate pencil worker from the slate pencil industry:".

Insertion of Section 9-A, 9-B, 9-C, and 9-D

4. After Section 9 of the principal Act, the following sections shall be Inserted, namely:-

Slate Pencil Contribution.

"9-A. (1) With effect from such date, as the State Government may notify, every occupier shall pay contribution to the Board, at such rate, as the State Government may, from time to time, fix by notification.

(2) The amount of contribution payable under sub-section (1) shall be paid to the Board before the last day of each calendar month.

(3) Every occupier shall transport his manufactured slate pencil from the slate pencil factory after obtaining a no dues certificate to the effect, that the contribution payable under sub-section (1) has been paid to the Board.

(4) The amount of contribution paid to the Board under sub-section (2), shall form part of the Slate Pencil Fund and be applied as hereinafter provided.

Interest on unpaid contribution or premium.

9-B. (1) If an occupier does not pay to the Board any contribution or premium when due, the Welfare Commissioner of the Board may cause to be served a notice on the occupier to pay the amount within the period specified therein, which shall not be less than fifteen days from the date of the service of the notice.

(2) If the occupier fails, without sufficient cause, to pay the contribution or premium within the period specified in the notice, the amount together with simple interest at the rate of twelve percent per annum, shall be recoverable as arrears of land revenue.

Consequences of non-payment of contribution or premium.

9-C. Without prejudice to the generality of the provision of Section 9-B, if a consignment of slate pencils is transported from the slate pencil factory or any establishment thereof, without payment of contribution or premium, the following consequences shall ensue,-

(a) the person appointed to collect the contribution or the Inspector may detain the consignment;

(b) the person or the Inspector, as the case may be, shall on detention of the consignment prepare a list of items of consignment duly signed by him and furnish a copy thereof to the person in charge of the consignment at the time of its detention, along with a notice in the prescribed form to the effect, that the detained goods shall be sold by auction at such place, date and time as may be specified therein;

(c) the person or Inspector shall also cause a copy of the aforesaid list and notice to be sent forthwith to the Welfare Commissioner of the Board:

(d) if the amount due is not paid before the date fixed for auction, the Welfare Commissioner shall cause the consignment to be sold by public auction and the sale proceeds thereof shall be applied for the payment of amount due and other expenses incurred in connection with the detention and sale;

(e) the surplus, if any, of the sale proceeds shall be paid in the manner specified, to concerned occupier from whose custody the goods were seized,

Budget.

9-D. (1) The Board shall prepare, in such form and at such time each year, as may be prescribed, a budget in respect of the financial year next ensuing showing the estimated receipts and expenditure and copy thereof shall be forwarded to the State Government.

(2) The budget for Slate Pencil Fund and for Shram Kalyan Nidhi Shall be prepared and approved separately by the Board.".

Insertion of Section 11-A.

5. After Section 11 of the principal Act, the following sections shall be Inserted, namely:-

Vesting and application of Slate Pencil Fund.

"11-A. (1) The Slate Pencil Fund shall vest in and be held and applied by the Board as a Trustee, subject to the provisions and for the purposes of the Act. The moneys therein shall be utilised by the Board to defray the cost of carrying out activities, which may be specified by the State Government, from time to time, to promote the welfare of the slate pencil workers and their dependents.

(2) Without prejudice to the generality of sub-section (1), the moneys in the Fund may be utilised by the Board to defray expenditure on the following :-

(a) grant-in-aid to the members of family of a worker, who died or may die on account of silicosis;

(b) medical treatment of a worker suffering from silicosis;

(c) community necessities of a worker and his dependents;

(d) educational facilities for members of family of a worker;

(e) establishment of primary health centers and dispensaries for slate pencil factory;

(f) home industries and subsidiary occupations for women and unemployed persons dependent on slate pencil worker;

(g) games, sports, entertainments, and other forms of recreation of the worker;

(h) reading rooms and libraries for the worker;

(i) payment of life insurance premium in respect of a worker;

(j) cost of administering the Act, including allowances of the members of the Board, salaries and allowances of the staff appointed by the Board;

(k) such other objects as would in the opinion of the Board improve the standard of living and ameliorate the social conditions of a worker:

Provided that the Fund shall not be utilised in financing any activity, which the occupier is required to carry out under any law, for the time being in force.

Explanation.- For the purposes of this sub-section, "members of the family" in the case of a slate pencil worker, means the spouse, son, un-married daughter, father, grand father, mother, grand mother, brother, un-married sister, widowed daughter, widowed sister, paternal uncle, paternal uncles wife or widow or brothers son or unmarried daughter, living jointly with or any other relation dependent on him.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government may, authorise the Board to utilize the fund for giving loan or advance to an occupier, where such loan or advance is for enabling the occupier to discharge the obligation imposed on him by or under any law, for the time being in force, for the safety and health of the slate pencil workers and members of their family.

(4) If any question arises whether any particular expenditure is or is not debitable to the Fund, the matter shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final and binding.

Explanation.- The slate pencil workers shall be eligible for benefit under the Shram Kalyan Fund also. The Shram Kalyan Mandal may provide benefits, schemes, provisions exclusively for slate pencil workers.".

Amendment of Section 16.

6. After sub-section (1) of Section 16 of the principal Act, the following sub-section shall be Inserted, namely:-

"(1-a) the Inspectors appointed under Madhya Pradesh Slate Pencil Karmkar Kalyan Nidhi, 1982 shall be construed as appointed under this Act, upon repeal of the said Act:

Provided that the posts transferred from the Madhya Pradesh Slate Pencil Workers' Welfare Board shall be treated separate from the posts under the Madhya Pradesh Shram Kalyan Mandal and all transferred posts from Madhya Pradesh Slate Pencil Workers' Welfare Board to Madhya Pradesh Shram Kalyan Mandal shall be treated as supernumerary.".

Insertion of Section 30-A.

7. After Section 30 of the principal Act, the following section shall be Inserted, namely:-

Vesting of funds and discharge of liabilities.

"30-A. The Madhya Pradesh Shram Kalyan Mandal shall be the legal successor of the Madhya Pradesh Slate Pencil Workers Welfare Board. All funds, schemes, contributions, posts, powers, assets (including land, buildings, vehicles, furniture and other movable and immovable assets), liabilities, sanctioned posts, existing staff, income sources, expenditure commitments and notified regulation of the Board under Madhya Pradesh Slate Pencil Workers Welfare Fund Act, 1982 shall stand transferred to the Madhya Pradesh Shram Kalyan Mandal constituted under this Act."

Amendment of Section 34.

8. In Section 34 of the principal Act, in sub-section (1), for the colon, full stop shall be substituted and the existing proviso thereof shall be deleted.

Repeal and savings.

9. (1) The Madhya Pradesh Slate Pencil Karmkar Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 13 of 1983) is hereby repealed.

(2) The repeal of this Act shall not affect anything duly done or suffered before the operation of the Act so repealed or any obligation or liability accrued or incurred under the Act so repealed or any legal proceedings or remedies taken in respect of any obligation or liability aforesaid and any such legal proceedings or remedies may be continue or continued in force. However, all pending proceedings in any Court of Law shall continue, as if the Act had not been repealed.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.